

मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृत्ति योजना

I. योजना के प्रावधान एवं पात्रता :-

1. इस योजना के अन्तर्गत बोर्ड के निबंधित लाभुकों के दो मेधावी संतानों को निम्नांकित छात्रवृत्ति देय होता है।
2. कक्षा एक से पांचवीं तक सभी श्रेणी के छात्रों को छात्रवृत्ति देय होता है।
3. कक्षा 6वीं से ऊपर की कक्षा में प्रथम श्रेणी से अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण करने या किसी प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर ही देय होता है।

क्र०	कक्षावार विवरण	वार्षिक छात्रवृत्ति की राशि	
		छात्र	छात्रा
1	कक्षा 1 से 5वीं तक (के सभी श्रेणी के छात्रों को)	500 / -	750 / -
2	कक्षा 6 से 8वीं	750 / -	1000 / -
3	कक्षा 9 से 12वीं	1000 / -	1500 / -
4	स्नातक कक्षा यथा बी०ए०, बी०एस०सी०, बी०कॉम०, डिप्लोमा आदि	1500 / -	2500 / -
5	स्नातकोत्तर कक्षा यथा एम०ए०, एम०एस०सी०, एम०कॉम०, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा इत्यादि	2500 / -	3000 / -
6	स्नातक स्तर के व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने पर (इंजीनियरिंग तथा मेडिकल छोड़कर)	3000 / -	4000 / -
7	इंजीनियरिंग तथा मेडिकल स्नातक स्तर के मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कोर्स में	10,000 / -	15,000 / -

- ❖ स्नातक स्तर के मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कोर्स में अध्ययनरत होने पर छात्रवृत्ति या संबंधित संस्थान की वास्तविक ट्यूशन फी या छात्रवृत्ति दोनों में से जो अधिक हो की, प्रतिपूर्ति, बोर्ड के द्वारा की जाएगी। इसके लिए एक वर्ष के अध्ययन की अनिवार्यता होगी।
- ❖ योजना का लाभ वैसे लाभुकों के संतानों को देय होगा जिन्होंने अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं लिया हो।

II. मेधावी पुत्र/पुत्री योजना के अन्तर्गत प्रमण्डलवार प्रगति विवरणी

क्रमांक	प्रमण्डल का नाम	निबंधित लाभुकों की संख्या (माह अप्रैल, 2014 तक)	योजनान्तर्गत वर्षवार प्रगति विवरणी			
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (अप्रैल 2014 तक)
1	उपश्रमायुक्त, राँची	48,425	88	125	623	6
2	उपश्रमायुक्त, जमशेदपुर	44,459	128	28	54	1
3	उपश्रमायुक्त, दुमका	35,650	92	97	716	-
4	उपश्रमायुक्त, हजारीबाग	61,758	-	277	101	-
5	उपश्रमायुक्त, बोकारो	38,496	05	166	275	-
कुल योग		2,28,788	313	693	1769	7